कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

संo. एलo एo /एसo एसo –1/शo स्थाo निo/ 14322/956 दिनांकः– 02.01.13

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत अमरपुर के वर्ष 2009–10 से 2010–11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संo 11/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें, साथ ही पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन भी प्रेषित करवाया जाय क्योंकि अनुपालन नहीं किए जाने से लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,
02/01/13
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

नगर पंचायत अमरपुर
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–11/12–13
(अवधि– 2009–10 से 2010–11 तक)

1. प्रस्तावना

अमरपुर नगर पंचायत, बॉका के वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 तक के लेखाओं का नमूना अंकेक्षण प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा बिहार, पटना के अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 28.03.12 के 07.04.12 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क्र0सं0	अध्यक्ष का नाम	कार्य अवधि
1	श्रीमती रेणु देवी	1.04.09 से 31.03.11
क्र0सं0	**उपाध्यक्ष का नाम**	**कार्य अवधि**
1	श्री सदानंद महतो	1.04.09 से 31.03.11 तक
क्र0सं0	**कार्यपालक पदाधिकारी का नाम**	**कार्य अवधि**
1	श्री अविनाश कुमार	01.04.09 से 02.04.09
2	श्रीमति राखी कुमारी केशरी	02.04.09 से 31.01.10
3	श्री संजय कुमार	31.01.10 से 29.03.10
4	श्रीमति राखी कुमारी केशरी	29.03.11 से 04.04.10
5	श्री रमेश कुमार सिंह	04.04.10 से 31.03.11

3. अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र

अंकेक्षण में नमूना जॉच किय गये पंजियों एवं अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट I'अ' में दर्शाया गया है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया या अधूरा संधारित था, को परिशिष्ट I'ब' में दर्शाया गया है।

4. पूर्ववर्त्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन

पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

कम सं0	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0	कंडिकाओं की संख्या	निबटाये गए कंडिकाओं की सं0	शेष कंडिका
1	363/09–10 2005–06 से 2008–09	28	शून्य	28

अंकेक्षित निकाय द्वारा पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षाओं के प्रतिवेदन का अनुपालन नही किया गया जिसके कारण अंकेक्षण अपने लक्ष्य को पाने में विफल रहा। अतः सभी पूर्ववर्त्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों कें लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर यथाशीध्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

5. लेखा परीक्षा की मुख्य उपलबधियॉ

कम सं0	कंडिका सं0	विवरण	राशि(₹)
1	9	अनुदान राशि का अवरोधन	2887875.00
2	12	बकाया ट्रान्समिसन टावर शुल्क	368000.00
3	16	सोलर लाइट अधिष्ठापण से अनियमितता	378000.00
4	19	दैनिक मजदूरों पर अनियमित व्यय	491537.00

6. आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 के अन्तर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रावधान किया गया है। बिहार नगरपालिका लेखा नियम 1928 के नियम 20, 30, 60 तथा 64 में बिहार नगरपालिका रिकवरी ऑफ टैक्स के नियम 30, 37, एवं 39 में यह व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष उपाघ्यक्ष या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से आय एवं व्यय सें संबंधित अभिलेखों की आंतरिक जॉच की जायेगी जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।

लेकिन नगर पंचायत अमरपुर द्वारा उक्त प्रकियाओं का पालन नहीं किया गया जिसके कारण कई त्रुटियॉ जिन्हे रोका जा सकता था, धटित हुई।

अतः सुझाव दिया गया जाता है कि उपरोक्त प्रकियाओं का पालन करते हुए नियमित रूप सें आंतरिक जॉच की व्यवस्था की जाये, जिससे वित्तीय अनियमितताओं को रोका जा सके।

7 अधिदृश्यः

नगर पंचायत, अमरपुर मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान तथा निजी स्रोतों से प्राप्त आय द्वारा वित्तसंपोषित थी। अंकेक्षण वर्ष 2009–10 से 2010–11 की प्राप्तियों तथा व्ययों का सार निम्नलिखित हैः–

		2009–10	2010–11
1	प्रारंभिक शेष	5253038.06	9050764.96
2	प्राप्ति		
(i)	बी0 आर0 जी0 एफ	2994000.00	1449000.00
(ii)	12 वी वित्त	1433765.00	–
(iii)	कबीर अंत्येष्टि	79500.00	–
(iv)	13 बी वित्त	–	800000.00
(v)	नगर शिक्षक मानदेय	–	984000.00
(vi)	शितलहरी	7000.00	3000.00
(vii)	मकान सुचीकरण	–	107800.00
(viii)	जनगणनना	–	128950.00
(ix)	मैचिंग ग्रांट	–	465983.00
(x)	नगर पार्षद मानदेय	–	67200.00
(xi)	नगर प्रबंधक मानदेय	–	140000.00
(xii)	स्वंय के श्रोत से आय एवं अन्य	369089.00	3084848.86
	जोड़ वर्ष की प्राप्ति (ix to xii)	4883354.00	7230781.86
3	कुल प्राप्ति (1+2)	10136392.06	16281546.82
4	व्यय		
(i)	योजना	574871.00	2885586.00
(ii)	स्या0 एवं अन्य	510756.10	2043912.30
5	कुल व्यय (i+ii)	1085627.10	4929498.30
6	अंतशेष (3–5)	9050764.96	11352048.52

92

बैंक खाता अंतशेष(31.03.2011 को)

कम सं0	खाता विवरणी	खाता सं0	राशि
1	P/L AC	उपलब्ध नहीं कराया गया	
2	भारतीय स्टेट बैंक अमरपुर	11739997219.00	7281873.36
3	''	11739938151.00	203088.86
4	''	30381619580.00	2071173.00
5	बिहार क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक अमरपुर		312739.75
			9868874.97

लेखापाल रोकडबही एवं बैंक पास बुक के अंतशेष का अंतर ₹1483173.55

अंकेक्षण आपत्ति

(1) अभिश्रव सं0 एवं चेक संख्या रोकड़बही में अंकित नहीं था

(2) शीर्षवार आय एवं व्यय का विवरण नहीं पाया गया

(3) ट्रेजरी पास बुक (P/L AC) अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

रोकड़बही का विहित संधारण कर एवं बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

8. सरकारी अनुदान

नगर पंचायत द्वारा सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप कुल प्राप्त अनुदान एवं 31.03.11 को शेष अनुदान राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। परन्तु लेखापाल रोकड़बही में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर विभिन्न उद्देश्यों/मदों के लिए कुल ₹9056283.00 की अनुदान प्राप्त हुआ था (परिशिष्ट–II)

अनुदान पंजी का संधारण कर सरकार को भेजे गए उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

9. प्रशासनिक भवन हेतु अनुदान राशि का अवरोधन ₹ 28.88 लाख

वित्तिय वर्ष 2008–09 में अमरपुर, नगर पंचायत को प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु 75% अनुदान के रूप में कुल ₹2887875.00 का सहायय अनुदान के साथ साथ ₹3850500.00 के मॉडल प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति, बिहार सरकार, नगर विकास विभाग ज्ञापांक 5 ब/प्र भ0 2–02/7/4533/ न0 वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 29.08.08 द्वारा दी गयी।

अंकेक्षण की तिथि तक उपरोक्त राशि ₹2887875.00 अनुपयोगित थी। चूकि मानक प्राक्कलन चार वर्ष पूराना है तथा वर्त्तमान में मुद्रास्फीति के कारण सामग्री/मजदूरी की दर में वृद्वि हो गयी होगी। अतः प्राक्कलन से भवन निर्माण पर लागत अधिक होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता।

भवन निर्माण लागत में होनेवाली वृद्वि की जिम्मेदारी तय करते हुए राशि का उपयोग भवन निर्माण के लिए करने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

10. शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ उपकर की वसूल नहीं

मॉग एवं वसूली पंजी एंव एसेसमेन्ट पंजी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसके कारण वास्तविक भवन कर संग्रह एवं 31.03.2011 को भवन कर बकाया सुनिश्चित नहीं किया जा सका। परन्तु कर संग्राहकों के दैनिक संग्रह पंजी एवं लेखापाल रोकड़बही के आधार पर कुल ₹50398.00 की वसूली भवन कर के रूप में वित्तिय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में की गयी।

सरकार के निर्देशानुसार होलडिग टैक्स का 50% स्वास्थ्य उपकर एवं 50% शिक्षा उपकर के रूप में अलग अलग वसूली, कर–दाताओं से करने का प्रावधान है। स्वास्थ्य उपकर एवं शिक्षा उपकर के रूप में वसूली गयी राशि का 10% राशि संग्रहण प्रभार के रूप में कटौती कर शेष 90 % राज्य सरकार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा करना था। परन्तु नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त दर से स्वास्थ्य उपकर एवं शिक्षा उपकर की वसूली नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप सरकार एवं नगर पंचायत का संयुक्त रूप से ₹ 50398.00 का नुकासान हुआ।

विवरण निम्नलिखित है

कम सं0	वर्ष	भवन कर जमा राशि
1	2009–10	30104.00
2	2010–11	20294.00
	कुल योग	50398.00

50% स्वास्थ्य उपकर 29199.00

50% शिक्षा उपकर 29199.00

कुल स्वास्थ्य +शिक्षा उपकर 50398.00

उपरोक्त राशि की वसूली सम्बन्धित /जिम्मेदारी व्यक्ति से कर उसका 10% (₹5040.00) संग्रह प्रभार के रूप में कटौती कर शेष राशि (₹45358.00) को सरकार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

11. स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं (₹9110.00)

मुख्य सचिव बिहार के पत्रांक 1920/न0/मु0 स0 दिनांक 14.08.2002 एंव सह सचिव निबंधन महानिरीक्षक, बिहार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के अनुसार सैरात की बंदोबस्ती का एकरारनामा बन्दोबस्ती राशि के 3% मूल्य के स्टाम्प पेपर पर कराने का प्रावधान है परन्तु नगर पंचायत, अमरपुर में अमरपुर बस स्टैन्ड की बन्दोबस्ती में उपरोक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप सरकार को ₹9110.00 के राजस्व का नुकसान हुआ।

विवरण निम्नवर है।

वित्तिय वर्ष	बन्दोबस्ती राशि	3% स्टैम्प मूल्य	एकरारनामे का स्टैम्प पेपर मुल्य	अंतर
2009–10	3005000.00	9150.00	40.00	9110.00

₹ 9110.00 की राशि सम्बन्धित/जिम्मेदार व्यक्ति से वसूलकर सम्बन्धित शीर्ष में जमाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

12. बकाया ट्रांसमिशन टावर शुल्क ₹3.86 लाख

बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेश संख्या 4(न0) न्या0 77/2008–5499/न0 वि0 एवं आ0 वि0/पटना दिनांक 07.11.09 में पारित आदेशानुसार नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित मोबाइल टावर पर प्रत्येक वर्ष जमीन से टावर की उँचाई के आधार पर 2000.00 प्रतिमीटर की दर से लगाए जाने का प्रावधान था। पुनः सरकार द्वारा बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 को मंजूरी दी गयी जिसके अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में निबंधन शुल्क 30 हजार रूपये जबकि नवीकरण के लिए 8 हजार रूपए प्रति वर्ष देना होगा । पुराने टावरों को भी उसकी स्थापना के दिन से निबंधन शुल्क एवं नवीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।

अंकेक्षण में नगर पंचायत द्वारा उपलबध कराए गए संचिका के अनुसार नगर पंचायत में 8 मोबाइल टावर अधिष्ठापित थे। लेकिन उनकी स्थापना कब की गई इसका पता नही चल सका।

संचार नियमावली 2012 के अनुसार 14 वर्ष 09–10 एवं 10–11 हेतु बकाया शुल्क की राशि निम्नवत थी

कम सं0	मोबाइल	टावर का स्थान	टावर की सं0	निबंधन शुल्क	वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिए नवीकरण शुल्क	कुल बकाया राशि
1	एअर सेल	वार्ड सं0 06	1	30000.00	16000.00	46000.00
2	क्यूइर्पो टेलीकाम इन्टरप्राइजेज लि0	वार्ड सं0 13	1	30000.00	16000.00	46000.00
3	बोडोफोन	वार्ड सं0 13	1	30000.00	16000.00	46000.00
4	रिलायन्स	वार्ड सं0 06	2	60000.00	32000.00	92000.00
5	एअरटेल	वार्ड सं0 07	1	30000.00	16000.00	46000.00
6	एअरसेल	वार्ड सं0 09	1	30000.00	16000.00	46000.00
7	बी0 एस0 एन0 एल	वार्ड सं0 09	1	30000.00	16000.00	46000.00
					कुल योग	368000.00

उपरोक्त टावरों की स्थापना की तिथि ज्ञात कर नियमावली के अनुसार टावरों पर बकाया शुल्क की पुनः गणन कर वसूल की जाए एवं ₹3.68 लाख की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

13. कम जमा/नहीं जमा राशिः–

(i) श्री सोहन कुमार दास, कर संग्रहक द्वारा ₹459.00 की वसूली एवं रसीद सं0 2713/16.02.2012 से की गयी। परन्तु उपरोक्त राशि को जमा नहीं किया गया था।

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त राशि ₹459.00 को विविध रसीद सं0 517/दिनांक 04.04.2012 से जमा कर दिया गया। उपरोक्त राशि का जमा रोकड़पाल बही एंव ट्रेजरी पास बुक/बैंक पास बुक में अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय

(ii) श्री राजीव पाठक कर संग्राहक द्वारा ₹ 29151.00 का संग्रह किया गया परन्तु नगर पंचायत निधि में मात्र ₹6812 ही जमा किया गया। अतः ₹22339.00 सम्बन्धित कर संग्राहक में जमा नहीं किया। विवरण निम्नलिखित है:–

88

कम सं0	रसीद सं0	दिनांक	संग्रहित राशि	जमा की गयी राशि	नही जमा
1	2325–2400	07.07.09 से 06.07.10	23491.00	6812.00	16679.00
2	2601–2619	28.03.11 से 27.01.12	5660.00	शून्य	5660.00
			29151.00	6812.00	22339.00

उपरोक्त राशि ₹22339.00 को श्री राजीव पाठक से वसूल कर अविलंब नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय एवं संबंधित दस्तावेज अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये। एवं इस प्रकार की पुनरावृत्ति पर रोक लगायी जाय।

14. संवेदकों को अधिक भुगतान (₹3980.00)

बी0 आर0 जी0 एफ0 योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में कियान्वित की गई योजनाओं से संबंधित संचिकाओं के नमूना जॉच में पाया गया कि संवेदकों को तुलनात्मक विवरणी के आधार पर इस शर्त पर कार्यादेश निर्गत किया गया कि उन्होने प्राक्कलित राशि से कम दर पर कार्य करने की सहमति प्रदान की, परन्तु विपत्र पारित करते समय उनके विपत्र से उतनी राशि काटी नही गयी। फलस्वरूप सम्बन्धित संवेदकों को अधिक भुगतान किया गया विवरण निम्नवर है:–

कम सं0	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	प्रा0 राशि	संवेदक द्वारा निविदित दर	अधिक भुगतान
1	जर्जर सड़क के निर्माण के साथ एक पुलिया निर्माण (1) वार्ड न0 1 मेसूर मौजार के घर से नई मस्जिद तक वार्ड सं0 2 लाला खो दरगाह से महेन्द्र साह के घर के पास वार्ड सं0 4 कैतकी काली स्थान में वार्ड न0 3 जर्जर सड़क के साथ एक पुलिया निर्माण	श्री अनिल कुमार सिंह ग्राम भेलाय पोस्ट– डाडा जिला–बॉका	370000.00	0.5% below BOQ/Est.	1850.00
2	वार्ड सं0 11 बढ़ई टोला में एक सामुदायिक भवन निर्माण	तथैव	290000.00	0.3% below BOQ	870.00
3	जर्जर सड़क के साथ एक पुलिया निर्माण	मे दीपा टेल्कॉम प्रा0 मोहिनि चित्रा	630000.00		1260.00

	(1) बुच्ची मोड़ से वनियाचक होते हुए वार्ड सं0 6 के लाल कोठी तक, वार्ड सं0 6 महेन्द्रशाह वार्ड न0 14 होते हुए अशोक भगत के घर तक वार्ड नं0 7 जगरनाथशाह के घर से हलधर शाह के घर के पास वार्ड न0 8 के नुटोला के पास सामुदायिक भवन निर्माण, वार्ड सं0 9 P.W.D रोड़ से गोस्वामी टोल तक पी0 सी0 सी0 सड़क निर्माण	मंदिर अमरपुर (बॉका)			
					3980.00

अतः ₹3980.00 का अधिक भुगतान विपत्र पारित करते समय सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा शिथिलता वरतने के कारण सम्भव हो सका जिसे जिम्मेदार व्यक्ति से वसूली कर नगर पंचायत कोष में जमा किया जाय।

15. निष्फल व्यय

वर्ष 2008–09 में बी0 आर0 जी0 एफ0 योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पॉच योजनाओं को कार्य ₹630000.00 के प्राक्कलित राशि से प्रारंभ कराया गया।

कम सं0	योजना का नाम	प्रा0 राशि (₹)
1	बुच्ची मोड़ से बनियाचक होते हुए वार्ड सं0 6 के लाल कोठी तक जर्जर सड़क के साथ एक पुलिया को निर्माण	85000.00
2	महेन्द्र साह के घर से वार्ड नं0 14 होतु हुए जर्जर सड़क के साथ अशोक भगत के घर तक एक पुलिया का निर्माण।	85000.00
3	वार्ड न0 7 में जगर्नाय साह के धर से जर्जर सड़क का निर्माण करते हुए हलधर साव के घर के पास एक पुलिया का निर्माण	85000.00
4	वार्ड नं0 8 में कानु टोला के पास सामुदायिक भवन का निर्माण	290000.00
5	वार्ड न0 9 में पी0 डब्लू डी0 रोड से गोस्वामी टोला तक पी0 सी0 सी0 सड़क का निर्माण	85000.00
		630000.00

86

उपरोक्त योजनाओं के कियान्वयन के लिए मे0 दीपा टेल्कान प्रा0 लि0 अमरपुर के साथ एकरारनामा किया गया था। एकरारनाम के अनुसार सभी योजनाओं को कार्यादेश 15.11.08 निर्गत होने के चार माह के अन्दर पूरा कर लेना था। कम सं0 4 को छोड़कर बाकी सभी योजनाएँ पूरी हो चुकी थी। कान्हु टोला के पास सामुदायिक भवन का निर्माण जिसकी प्राक्कलित राशि ₹290000.00 थी, का निर्माण कार्य सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं हो पाया। फलस्वरूप बोर्ड की बैठक दिनांक 19.01.10 के प्रस्ताव सं0 7 अन्यान्य 1 में स्थल परिवर्तन कर चंसार पोखर पर खाता सं0 131, खेसरा सं0 69/1 मौजा जाला थाना न0 320 रकवा 2 एकड़ 06 डि0 में से 0.10 डि0 पर सामुदायिक भवन निर्माण हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। तदनुसार नगर पंचायत अमरपुर के पत्र सं0 157 दिनांक 29.07.10 के द्वारा स्थल परिवर्तन के अनुमोदन हेतु उपविकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद बांका को लिखाा गया जिसकी प्रतिलिपि सरकार के उपसचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को दी गयी।

उपविकास आयुक्त के अनुमोदन के बिना योजना के कियान्वयन पर मे0 दीपा टेल्कम को अभी तक (05.05.11) कुल ₹263000.00 का भुगतान किया जा चुका है इसके बाद कार्य को अपूर्ण स्थिति में स्थगित कर दिया गया।

भुगतान से संबंधित विवरण इस प्रकार है:–

कम सं0	अभिश्रव सं0	दिनांक	चेक सं0	राशि (₹)
1	17/10–11	24.11.10	380504	68000
2	26/10–11	01.02.11	380514	112000
3	04/11–12	05.05.11	380523	83000
				263000.00

समुदायिक भवन निर्माण के लिए स्थल परिवर्तन कर जिला योजना समिति के अनुमोदन के बिना कार्य प्रारंभ कराना अनुचित था एवं कार्य स्थगगित करने से पूर्ण नहीं होने के कारण ₹263000.00 का व्यय निष्फल हो गया। समुचित स्पष्टीकरण मिलने तक व्यय की गयी राशि ₹263000.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

16 सोलर लाइट अधिष्ठापन में अनियमितता (₹3.78 लाख)

योजना सं0	20/10–11	(पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)
योजना का नाम	नगर पंचायत में 9 विभिन्न स्थनों पर सोलर लाइट अधिष्ठापन	
प्राक्कलित राशि	₹378000.00	19X42000
वास्तविक व्यय	₹210000.00	चेक सं0 31799/08.11.10
	₹168000.00	चेक सं0 380501/10.11.10
	₹378000.000	

आपूर्तिकर्त्ता का नाम– में शुभम इन्टरप्राइजेज, गुरूद्वारा रोड़ भागलपुर

पो0– श्री शम्भु महतो, गा0+पो0 अमरपुर

नगर पंचायत अमरपुर द्वारा वित्तिय वर्ष 2010–11 में 9 विभिन्न स्थानों पर ₹378000.00 की लागत से सोलर लाइट अधिष्ठापण का कार्य करवाया गया। इस संबंध में तीन आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कोटेशन के आधार पर मे0 शुभम इन्टरप्राइजेज, भागलपुर जिसका दर न्यूनतम था, से सोलर लाईट अधिष्ठापण का कार्य करवाया गया और तदनुसार भुगतान किया गया। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिये गए दर विवरण निम्नलिखित है।

1	मे शुभम इंन्टरप्राइजेज भागलपुर	₹42000.00 प्रति सेट
2	मे0 भागलपुर बैट्री हाउस पटेल बाबु रोड, भागलपुर	₹42120.00 प्रति सेट
3	खेल संचार एवं हार्डवेयर डी0 एम0 सिंह रोड, भागलपुर	₹45000.00 प्रति सेट

अंकेक्षण आपत्ति

(i) बिहार वित्तिय नियमावली 2005 के अनुसार ₹100000.00 से ज्यादा से क्रय हेतु स्थानीय समाचार पत्र में निविदा निकाले जाने का प्रावधान है। परन्तु नगर पंचायत द्वारा निविदा समाचार पत्र में नहीं निकाला गया तथा इस हेतु क्रय समिति का भी गठन नहीं किया गया था।

(ii) नियमानुसार आपूर्त्तिकर्त्ताओं का कोटेशन बन्द लिफाफे में आना चाहिए। परन्तु संचिका मे उपरोक्त तीनों कोटेशनों में से किसी मे भी लिफाफा संलग्न नहीं पाया गया।

(iii) अधिकृत बिक्रेताओं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिए गए कोटेशन के साथ अधिकृत विक्रेता प्रमाणपत्र किसी भी कोटेशन के साथ संलग्न नही था। मैं0 शुभम इन्टर इन्टरप्राईजेज को छोड़कर अन्य दो कोटोशनों में TAX No/VAT No. भी अंकित नही था। अतः बिना अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र के कोटेशन को स्वीकार करना एवं सोलर लाइट का क्रय करना अनियमित था।

(iv) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सोलर लाईट आपूर्त्ति के लिए कैशमेमो/बिल जमा नही किया गया। आपूतिकर्त्ता के मात्र दिनांक 02.09.10 के लिखित आवेदन पर नगर पंचायत द्वारा अभिश्रव सं0 12/10–11 दिनांक 08.11.2010 एंव अभिश्रव सं0 14/10–11 दिनांक 10.11.2010 के द्वारा क्रमश ₹210000.00 एंव ₹168000.00 कुल ₹378000.00 का भुगतान कर दिया गया।

(v) सरकारी निर्देशानुसार आपूर्तिकर्त्ता को सोलर लाईट के रखरखाव की भी व्यवस्था करने का प्रावधान है इस संदर्भ में आपूर्तिकर्त्ता को ₹15000.00 प्रति सोलर प्लेट की दर से भुगतान भी किया गया। परन्तु आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वारंटी कार्ड। वारंटी नहीं दिया गया। बिना वारंटी के आपूर्तिकर्ता रख रखाव सुनिश्चित करेगा। यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वारंटी के लिए किया गया भुगतान ₹135000.00 (9X15000) बसूलनीय है।

(vi) वैट की कटौती नहीः–

आपूर्तिकर्ता को प्रतिसेट ₹1038.00 की दर से कटौती करने के पश्चात ही भुगतान करना था। परन्तु नगर पंचायत द्वारा ₹9342.00 (1038X9) की कटौती किए बगैर आपूर्तिकर्ता को सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया। आपूर्तिकर्ता द्वारा फार्म (III) भी उपलब्ध नही कराया गया। अतः वैट के रूप में आपूर्तिकर्ता को ₹9342.00 का अधिक भुगतान बसूलनीय हैं राशि की बसूली का सम्बन्धित विभाग को प्रेषित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

उपरोक्त बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मिलने तक ₹233658.00 (378000–135000–9342) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

17. वैट (सेल्स टैक्स) की कम कटौती ₹0.81 लाख

बिहार मूल्य वद्धित कर अधिनियत 2005 की धारा 41 एवं नियमावली 2005 के नियम 29 के अनुसार अगर कार्य संवेदक द्वारा करवाया गया हो तो सभी लोकनिर्माण कार्यो पर कुल लागत का 4% की दर से वैट की कटौती करने का प्रावधान हैं परन्तु नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त दर से कटौती नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप ₹81177.00 कम वैट राशि की कटौती की गयी जिसका विवरण निम्नवर हैः–

क्रम सं0	योजना सं0	प्रा0 राशि	व्यय	वैट 4%	वास्तविक कटौती
1	1/10–11 (BRGF)	173570.00	172138.00	6886.00	1328.00
2	2/10–11 (BRGF)	107193.00	106800.00	4272.00	1433.00
3	3/10–11 (BRGF)	75646.00	72022.00	2881.00	620.00
4	4/10–11 (BRGF)	105888.00	105682.00	4227.00	2566.00
5	5/10–11 (BRGF)	103765.00	103553.00	4142.00	1126.00
6	6/10–11 (BRGF)	103580.00	103429.00	4137.00	1198.00
7	7/10–11 (BRGF)	105432.00	105237.00	4209.00	1000.00
8	9/10–11 (BRGF)	102455.00	102455.00	4098.00	941.00
9	10/10–11 (BRGF)	105617.00	104999.00	4200.00	1508.00
10	11/10–11 (BRGF)	103138.00	102401.00	4096.00	906.00
11	12/10–11 (BRGF)	223100.00	222536.00	8901.00	2389.00
12	13/10–11 (BRGF)	249200.00	249007.00	9960.00	1849.00
13	14/10–11 (BRGF)	287800.00	287745.00	11510.00	2430.00
14	16/10–11 (BRGF)	178300.00	178051.00	7122.00	1762.00
15	17/10–11 (BRGF)	321800.00	321516.00	12863.00	2943.00
16	18/10–11 (BRGF)	181300.00	180011.00	7200.00	1603.00
17	19/10–11 (BRGF)	217400.00	209105.00	8364.00	2289.00
				109068.00	27891.00

अंतर ₹ 81177.00 (109068–27891)

अतः वैट की कम कटौती की राशि ₹81177.00 की वसूली सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति/संवेदक से कर वाणिज्य कर विभाग के शीर्ष में जमा करवाया जाय।

18. श्रम सेस की कटौती नही ₹0.40 लाख

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार पत्रांक सं0 39 दिनांक 19.06.2008 के अनुसार सभी लोक निर्माण कार्यो के कुल लागत का 1% कटौती परिपत्र से करने के पश्चात ही संवेदक को भुगतान किया जाना चाहिए। परन्तु नगर पंचायत अमरपुर में श्रम सेस की कटौती उपरोक्त दर से क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं पर नहीं किया गया।

जिसकी विवरणी निम्नवर हैः–

82)

क्रम सं0	योजना सं0	मद	कुल व्यय	1% श्रम सेस
1	2/9–10	BRGF	330198.00	3302.00
2	3/9–10	BRGF	531467.00	5315.00
3	4/9–10	BRGF	269820.00	2698.00
4	1/10–11	BRGF	172138.00	1721.00
5	2/10–11	BRGF	106800.00	1068.00
6	3/10–11	BRGF	72027.00	720.00
7	4/10–11	BRGF	105682.00	1057.00
8	5/10–11	BRGF	103553.00	1036.00
9	6/10–11	BRGF	103429.00	1034.00
10	7/10–11	BRGF	105237.00	1052.00
11	8/10–11	BRGF	62698.00	627.00
12	9/10–11	BRGF	102455.00	1025.00
13	10/10–11	BRGF	104999.00	1050.00
14	11/10–11	BRGF	102401.00	1024.00
15	12/10–11	BRGF	222536.00	2225.00
16	13/10–11	BRGF	249007.00	2490.00
17	14/10–11	BRGF	287745.00	2877.00
18	16/10–11	BRGF	178051.00	1781.00
19	17/10–11	BRGF	321576.00	3216.00
20	18/10–11	BRGF	180011.00	1800.00
21	19/10–11	BRGF	209105.00	2091.00
			3920935.00	39209.00

विपत्रों से श्रम उपकर की कटौती नहीं किये जाने के फलस्वरूप राशि कल्याण बोर्ड को नही भेजी जा सकी।

अतः श्रम उपकर की कटौती नही किये जाने के कारण अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

19. दैनिक मजदूरों पर अनियमित व्यय ₹4.92 लाख

बिहार सरकार के पत्रांक 9827 दिनांक 20.12.76, 7420 दिनांक 24.11.77, 3520 दिनांक 02.08.08 तथा दिनांक 1231 दिनांक 06.05.92 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर रोक लगाई गयी है।

परन्तु नगर पंचायत अमरपुर के रोकड़बही एवं अभिश्रव नमूना जॉच के कम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2010–11 में कुल ₹491537.00 का व्यय दैनिक मजदूरों के भुगतान के लिए किया गया जो अनियमित था। अतः उपरोक्त राशि के व्यय को EX Post Facto अनुमति सरकार से प्राप्त हाने तक व्यय की गयी राशि ₹491537.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(विवरण परिशिष्ट III पर उपलब्ध)

20. कबीर अंत्येष्टि राशि का नगर पार्षदों के बीच बटवारा

नगर पंचायत अमरपुर को जिलाधिकारी बॉका से चके सं0 010929/08.02.10 द्वारा ₹79500.00 की राशि कबीर अंत्येष्टि मद में प्राप्त हुआ था। उपरोक्त राशि को 10.03.10 को भारतीय स्टैट बैंक अमरपुर से खाता सं0 1173997219.00 में जमा किया गया।

सरकारी निर्देशानुसार कबीर अंत्येष्टि की राशि को गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करनेवाले मृतक के परिवारजनों को ₹1500.00 प्रति लाभार्थी को दिए जाने को प्रावधान है।

लाभुकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वार्ड के लिए न्यूनतम दो कबीर अंत्येष्टि अनुदान अग्रीम राशि उपलब्ध कराये जाने का भी प्रावधान है। वार्ड स्तर पर यह राशि वार्ड कमिश्नर एवं सरकारी कर्मचारी के संयुक्त खाता में निकट के डाकधर या राष्टयकृत बैंक में रखा जाएगा।

नगर पंचायत अमरपुर में उपरोक्त राशि ₹79500.00 को अभिश्रव सं0 01/10–11 दिनांक 01.07.10 के द्वारा विभिन्न वार्ड कमिश्नरों के बीच वितरित कर दिया गया

(विवरण परिशिष्ट IV पर उपलब्ध)

विभिन्न लाभुकों द्वारा समर्पित आवेदन एवं उनके भुगतान से संबंधित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं किया गया जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि विभिन्न वार्ड कमिश्नरों द्वारा कितनी राशि लाभुकों के बीच वितरित की गयी है और उनके पास शेष कितनी राशि बची है। अभिलेख प्रस्तुत नहीं किय जाने से यह भी पता नही चल सका कि राशि लाभुकों के बीच वितरित किया गया अथवा नही।

80/

अतः कबीर अंत्येष्टि की राशि वितरण संबंधित अभिलेख अगले अंकेक्षण के सामने जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाय तब तक व्यय की गयी राशि ₹79500.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

21. कर संग्राहक के मानदेय पर निष्फल व्यय :– ₹0.41 लाख

मासिक बैठक में पारित प्रस्ताव के 01 (घ) दिनांक 05.01.2008 के अनुसार श्री राजीव पाठक, कर संग्राहक का मासिक मानदेय ₹1850 से बढ़ाकर ₹2500.00 किया गया। पुनः मासिक बैठक दिनांक 13.12.10 में पारित प्रस्ताव सं0 7 अन्यान्य (VII) के तहत श्री पाठक का मानदेय ₹2500 से बढ़ाकर ₹5000.00 कर दिया गया।

इस प्रकार विहित वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में नगर पंचायत की देनदारी श्री राजीव पाठक के मानदेय पर ₹69113.00 था, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

वित्तिय वर्ष	अवधि	मानदेय राशि
2009–10	01.04.09 से 31.03.10 (2500X12)	30000.00
2010–11	01.04.10 से 30.11.10 (2500X8)	20000.00
	01.12.10 से 11.12.10 (2500/माह) 2500X11/31	887.00
	12.12.10 से 11.12.10 (5000/माह) 5000X20/31	3226.00
	01.01.11 से 31.03.11(500X3)	15000.00
	कुल योग	69113.00

श्री राजीव पाठक को 2009–10 एंव 2010–11 में (रोकड़ बही एवं अभिश्रव के आधार पर)₹56700.00 का भुगतान मानदेय के रूप में हुआ। विवरण निम्न हैः–

कम सं0	अभिश्रव सं0	दिनांक	भुगतान की राशि
1	7/09–10	25.06.09	39200.00
2	54/09–10	11.09.09	7500.00
3	115/09–10	30.01.10	10000.00
		कुल योग	56700.00

श्री राजीव पाठक कर संग्राहक द्वारा वित्तिय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में मात्र 16148.00 का कर संग्रह किया गया। विवरण निम्न है:–

वित्तिय वर्ष	कर का नाम	राशि
2009–10	भवन कर	5174.00
2010–11	भवन कर	10974.00
	कुल योग	16148.00

श्री राजीव पाठक को मानदेय पर कर संग्राहक के रूप में रखने का मुख्य उदेश्य नगर पंचायत में कर संग्रहण को बढावा देना था। परन्तु श्री राजीव पाठक द्वारा उपरोक्त अवधि में मात्र 16148 का कर संग्रह किया गया, इसके विपरित उनके मानदेय पर सरकार की देनदारी ₹69113.00 का हुआ और भुगतान के रूप में श्री राजीव पाठक को ₹56700.00 प्राप्त हुआ। अतः श्री पाठक के मानदेय पर ₹40552.00 (56700–16148) का व्यय निष्फल हुआ है।

राजीव पाठक के द्वारा कर संग्रह में शिथिलता के बावजूद नगर पंचायत द्वारा श्री पाठक का मानदेय प्रस्ताव सं0 7 अन्यान्य

(VII) दिनांक 13.12.10 के द्वारा 2500 से बढाकर 5000 कर दिया गया। श्री पाठक के मानेदय में 100% की अप्रत्याशित वृद्धि बिना उनकी कार्यो के समीक्षा के किया गया।

अतः उपरोक्त मानेदय की जिम्मेदारी तय करते हुए ₹40552.00 की वसूली सम्बन्धित/ जिम्मेदार व्यक्ति से की जाय।

22. अभिश्रव प्रस्तुत नहीं ₹2.15 लाख

रोकड़बही के अवलोकन एवं अभिश्रव नमूना जॉच के कम में पाया गया कि कुल ₹214548.90 के अभिश्रव 16.09.10 से 31.03.11 की अवधि का अंकेक्षण में जॉच के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। अभिश्रवों के अप्रस्तुतीकरण से व्ययों की सत्यता नहीं जॉची जा सकी।

उपरोक्त अभिश्रवों को अगले अंकेक्षण में जॉच के लिए दिया जाय तब तक व्यय की गयी राशि ₹214548.90 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है

(विवरणी परिशिष्ट V पर उपलब्ध)

78

23. कार्यपालक पदाधिकारी से वर्त्तालाप

अंकेक्षण में उठाए गए आपत्तियों के संबंध में समय–समय पर कार्यपालक पदाधिकारी से विचार विमर्श किया गया।

24. अंकेक्षण परिणाम

(i) अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी राशि ₹459.00

(ii) वसूली हेतु सुझायी गयी राशि ₹719898.00

(iii) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि ₹1282243.90

25. सामान्य अभ्युक्ति

नगर पंचायत के लेखाओं का संधारण भली भॉति नही किया गया। उसमें काफी सुधार की आवश्यकता थी। संग्रहण लेखाओं पर सतत पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु नगरपालिका अधिनियम के आलोक में करों की वसूली हेतु विविध लक्ष्य को प्राप्त किया जाय। योजनाओं के कियान्वयन में सरकार के नियमानुसार कटौती की जाय। कार्यपालक द्वारा सतत जॉच की जाए जिससे अनियमितताओं पर कड़ी नजर रखी जा सके। आंतरिक जॉच के प्रावधान को प्रभाव में लाया जाय।

–हस्ता0–

भारद्वाजी

विमलेश भारती

(स0 ले0 प0 अ0)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार(एस0 एस0–I)

–सह–

स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

सं० एल० ए०/एस० एस०–1/ श० स्था० नि०/ दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत अमरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का जवाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महिनों के अंदर इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाय।

"यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।"

–ह०–

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार ,पटना

सं० एल० ए०/एस० एस०–1/ श० स्था० नि०/ 14322/956 दिनांकः– 02.01.13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

(i) प्रधान सचिव, बिहार सरकार,नगर विकास एवं आवास विभाग,पटना

(ii) जिलाधिकारी, बॉका

02/01/13

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

परिशिष्ट - 1 (अ) ②

नगर पंचायत, अमरपुर

(कंडिका - 3 के संदर्भ में)

अंकेक्षण में जाँच किए गए अभिलेखों की सूची

1. लेखापाल रोकड़ बही
2. बैंक पास बुक
3. विविध रसीद
4. रोध रसीद
5. योजना / संचिका (आंशिक)
6. अग्रिम अंशिका
7. उपयोगिता अभिलेख
8. स्टाक रजिस्टर
9. दैनिक संग्रह पंजी
10. योजना पंजी (B.R.G.F)
11. मोबाइल टावर अभिलेख
12. नगर पंचायत सामुदायिक भवन निर्माण संचिका
13. चेक पंजी

Vimlesh
AAO (P)

(8)

परिशिष्ट 1 (ब) (कंडिका - 3 के संदर्भ में)

नगर पंचायत अमरपुर

अंकेक्षण में अप्रस्तुत / संधारित नहीं किए गए अभिलेखों की सूची

1. बजट प्राक्कलन
2. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा अनुपालन प्रतिवेदन
3. P. L. खाता
4. योजना पंजी (B.R.G.F छोड़कर)
5. अचल पंजी
6. वार्षिक लेखा
7. सरकारी भवन कर बकाया अभिलेख
8. मांग एवं वसूली पंजी (नहीं कर)
9. सम्पत्ति रजिस्टर
10. स्टॉक रजिस्टर
11. पेशाकर अभिलेख
12. सेवा पुस्तिका
13. वाहन कर एसेसमेन्ट अभिलेख
14. वारंट पंजी
15. अनुदान पंजी
16. योजना अभिलेख (आंशिक)
17. जमाबंदी रजिस्टर
18. स्वीकृत कार्यकाल संबंधित अभिलेख

Vimlesh
AAO(P)

परिशिष्ट - II (7)

(कंडिका - 8 के संदर्भ में)

सरकारी अनुदान

क्रम सं.	प्राप्ति की तिथी 2009-10	स्वीकृति पत्रांक / तारीख	राशि	मद/उद्देश्य
1.	~~14/22~~ 17.06.09	14/22.05.09	1441000	BRGF
2.	09.02.10	DD पत्रांक 04/06/09	1553000	BRGF
3.	26.02.10	25-03/7-27 न.वि. एवं आ.वि./17.03.10	1037500	12th F.C
4.	20.03.10	25-03/7-28 न.वि. एवं आ.वि./17.3.10	396175	"
5.	10.03.10	010729/08.2.10	79500	कबीर अंत्येष्टि
6.	30.03.10	41/दिनांक 25.03.10	396175	12th FC
7.	13.01.10	जिलाधिकारी पत्रांक दिनांक 07.01.10	7000	शीतलहरी
			4910350	
	2010-11			
8.	21.04.10	D.D.C पत्रांक 21.03.10	489000	बी आर जी एफ
9.	08.12.10		6,84000	नगर शिक्षक मानदेय
10.	08.12.10		140000	नगर प्रबंधक मानदेय
11.	10.02.11	90/जी 03.02.11	107800	मकान सूचीकरण
12.	10.2.11	4/10-11	44250.	जनगणना
13.	04.01.11		3000	शीतलहरी
14.	16.03.11	D.D.C पत्रांक 21/11	960,000	बी.आर.जी.एफ
15.	31.03.11		800000	13th FC
16.	31.03.11		67200	नगर पार्षद मानदेय
17.	31.03.11		84700	जनगणना
18.	31.03.11		465983	मैचिंग ग्रांट
19.	08.11.10		300000	नगर शिक्षक मानदेय
			4145933	

कुल अनुदान 9056283/-
(4910350 + 4145933)

Vimlon

परिशिष्ट III

(कंडिका 19 के संदर्भ में)

दैनिक मजदूरों पर व्यय

क्रम सं.	अभिश्रव सं.	दिनांक	राशि	अभियुक्ति
1.	01-06/09-10	06.05.09	6581	
~~2.~~	~~08-09/9-10~~			
3.	11-19/9-10	30.06.09	14564	
4.	20-37/9-10	09.09.09	54980	
5.	58-73/9-10	31.10.09	14814	
6.	80-86/9-10	04.12.09	16172	
7.	90-93/9-10	22.12.09	14280	
8.	96-103/9-10	30.01.10	32742	
9.	123-132/9-10	27.03.10	28890	
10.	10-15/10-11	05.07.10	29100	
11.	16-28/10-11	05.07.10	41208	
12.	65-73/10-11	16.09.10	36937	
13.	74-80/10-11	06.10.10	36593	
14.	81/10-11	06.10.10	2394	
15.	82-110/10-11	13.12.10	94947	
16.	111-114/10-11	26.02.11	8379	
17	116/10-11	26.02.11	3306	
18.	121-123/10-11	26.02.11	12312	
19.	127-129/10-11	26.02.11	13338	
			491537	

Vimlesh
AAO(P)